न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

ासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
रण संख्या : 108/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
ेख रजू : 09.10.2025 निर्णय दिनांक : 01.05.2026

उनवान

1. बैया देवी पत्नी बंशीधर जाति गुर्जर निवासी बबेड़ी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–प्रार्थिया

बनाम

1. सहायक कलक्टर, बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
2. बनारसी देवी पत्नी दौलाराम, जाति गुर्जर निवासी बबेड़ी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
3. हंसराज पुत्र जसवंतसिंह,
4. सुनील कुमार पुत्र जसवंतसिंह,
   जातियान गुर्जर निवासी झीडा की ढाणी, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

स्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुबेसिंह यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हीरालाल रावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 03 व 04 की ओर से।

।। निर्णय ।। दिनांक – 01.05.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बानसूर के समक्ष वाद बउनवानी बैया देवी बनाम बनारसी देवी वगै0 मुकदमा संख्या 20/2022 मय टी0आई0 विचाराधीन हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 03 एवं 04 की ओर से वकील श्री हीरालाल रावत ने वकालतनामा पेश किया एवं सीधी बहस करना जाहिर किया।
3. वकील उभयपक्षकारान को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद अनुवानी बैया देवी बनाम बनारसी देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 20/2022 जिसके संलग्न टी. आई. 212 आर.टी. एक्ट मुकदमा नम्बर 17/2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर में जेरकार है। प्रतिवादीगण गांव में ऐलानियां कह रहे है कि हमारी सहायक कलेक्टर महोदय बानसूर से बात हो गई है तथा हम उक्त वाद व टी.आई. को खारिज करवायेगे। प्रतिवादीगण भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और उनके द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से वादी को यह आभास हो गया है कि वादी को न्याय प्राप्त नही होगा। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एंव उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण एंव पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो सहायक कलेक्टर बानसूर वादी के वाद को खारिज कर देगें।

अंत मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय में विचाराधीन वाद बउनवान बैया देवी बनाम बनारसी देवी

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

वगैरह मुकदमा नम्बर 20/2022 मय टी.आई. 212 आर.टी.एक्ट को न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर से अन्यत्र किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तलिक किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

5. वकील अप्रार्थी सं0 03 एवं 04 ने वकील प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के निस्तारण को लम्बित करने के उद्देश्य से मनगढंत एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत् सुनवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में तहत न्यायालय में प्रार्थी/वादी को एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त है जिसे प्रार्थी लम्बित रखने के उद्देश्य से एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु उक्त मुन्तिकल प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है। प्रार्थी ने अपने उक्त मुन्तिकल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त मुन्तिकल प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः श्रीमान प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा केवल आंशका के आधार पर उक्त मुन्तिकल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत या साक्ष्य या कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति सहायक कलक्टर बानसूर को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्पणा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़